निर्णय लोक अदालत न्याय आपके द्वार

श्री के.आर.चौहान सहायक कलक्टरएवं उपखण्ड अधिकारी(RAS) देवगढ़

केम्प ताल

प्र.सं 14/2018 प्रा.पत्र निर्णय दिनांक 24.05.2018

अनवान

1. श्री भैरूसिंह पिता दतक पुत्र तेजसिंह रावत नि. ग्राम बावड़ी गूंआर त. देवगढ़

.........प्रार्थी

बनाम

1. श्री वरदसिंह पिता जेठसिंह रावत कुशलपुरा तह. भीम जि.राजसमंद
2. श्री मोहनसिंह पित जेठसिंह रावत कुशलपुरा तह. भीम जि.राजसमंद
3. श्री पपूसिंह पिता रूपासिंह रावत कुशलपुरा तह. भीम जि.राजसमंद
4. श्री गिरधारी लौहार कुशलपुरा तह. भीम जि.राजसमंद

............विपक्षीगण

प्रार्थना पत्र अर्न्तगत धारा 111—128 राज. ले. रे. एक्ट

पत्रवाली आज दिनांक 24.5.2018 राजस्व लोक अदालत न्याय आपके द्वार केम्प ताल में पेश हुई। पक्षकारान को जारी सम्मन तामील हो शामिल पत्रावली हैं। पक्षकारान उपस्थित रहे हें। प्रार्थी के प्रार्थना पत्र का आवलोकन किया विवरण इस प्रकार है।

प्रार्थी ने एक प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि ग्राम चक कालागुन प.ह. ताल त.देवगढ़ में उसकी कृषि भूमि स्थित हैं। जिसके खाता सं. 98 आराजी सं. 141/2 रकबा 0.04 व आराजी नं. 147 रकबा 2.06 बीघा कुल किता 2 कुल रकबा 2.10 बीघा भूमि स्थित है। उक्त वर्णित भूमि की प्रार्थी ने अभी तक पत्थरगढ़ी नहीं करवाई हैं। मौके पर पक्की पत्थर की दीवार अथवा सीमा चिन्ह नहीं होने से प्रार्थी व पड़ौसी के बीच सीमा सम्बंधी विवाद बना रहता है। हर समय फसल बुवाई तथा कटाई के सीमा सम्बधित विवाद करते रहते हैं, जिससे प्रार्थी को अनावश्यक मुकदमें बाजी के लिये विवश होना पड़ता हैं। मौके पर अशांति कायम रहती हैं। जिससे प्रार्थी उसकी भूमिका शान्तिपूर्वक उपयोग उपभोग काश्त वगैरह नहीं कर पा रहा हैं, यदि प्रार्थी की उक्त वर्णित भूमि की बादनपती पत्थरगढी हो जाती है तो इस समस्या का हमेशा हमेशा के लिए समाधान हो जाऐगा तथा प्रार्थी उकसी भूमिका का शान्तिपूर्वक काश्त उपयोग उपभोग वगैरह कर सकेगा। अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जा कर प्रार्थी की उक्त वर्णित खातेदारी भूमि की पत्थरगढी के आदेश प्रदान कराये जावें।

प्रार्थी का प्रार्थना दर्ज रजिस्टर कर विपक्षीगण को मय नकल प्रार्थना पत्र के सम्मन जारी किये गये। तत्पश्चात प्रकरण राजस्व लोक अदालत न्याय आपके द्वार कैम्प ताल में नियत कर। पक्षकारन को पुनः सूचना पत्र जारी किये गया । विपक्षी की श्री वरदसिंह, श्री पपूसिंह श्री गिरधारी लौहार पेश हुऐ तथा प्रार्थी की पत्थरगढ़ी करने पर कोई आपति नहीं हेतु सहमति जारी की। यदि प्रार्थी की उक्त वर्णित भूमि की नपती पत्थरगढी हो जाती हैं तो इस समस्या का स्थाई समाधान हो जायेगा।

हमने प्रार्थी के प्रार्थना पत्र नकल जमाबन्दी एवं पत्रावली में संलग्न अन्य दस्तावेजों का अवलोकन किया। ग्राम चक कालागुन प.ह. ताल त.देवगढ़ की नकल जमाबंदी सं0 2068 से

2071 में प्रार्थीगण उक्त वर्णित भूमि के खातेदार हैं। खातेदार उसके खाते की भूमि की पत्थरगढ़ी करा सकता हैं।

अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता हैं तथा प्रार्थी की खातेदारी भूमि जो ग्राम [illegible]. चक कालागुन त.देवगढ़ में उसकी **कृषि** भूमि स्थित हैं। खाता सं. 98 आराजी सं. 141/2 रकबा 0.04 व आराजी नं. 147 रकबा 2.06 बीघा कुल किता 2 कुल रकबा 2.10 बीघ भूमि पर पत्थरगढ़ी के आदेश दिये जाते हैं। पालना हेतु तहसीलदार देवगढ़ को लिखा जावे की प्रार्थीगण से नियमानुसार पत्थरगढ़ी शुल्क जमा करा पक्षकारान को सूचित करा मौके पर पत्थरगढ़ी की जाकर रिपोर्ट पैश करें।

पत्रावली फैसल शुमार को नम्बर से कम की जावें। निर्णय आज दिनांक 24.5.2018 को राजस्व लोक अदालत न्याय आपके द्वार कैम्प ताल में मजमे आम सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार हो नम्बर से कम कि जावें।

सहायक कलक्टर
देवगढ़ जिला राजसमंद